30.9.21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत केम्प रजलावता में दिनांक 02-10-21 को पेश हो। [signature]

02-10-21

पत्रावली केम्प कोर्ट रजलावता में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित है। बहस अभ्यपक्षकारान वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम बड़ी पड़ाप तहसील नैनवां की खसरा सं. 1377/389 रकबा 1 बीघा भूमि प्रार्थिया मनभर बाई के खाते एवं प्रार्थी नेवालाल के खाते की खसरा संख्या 1333/385 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि है। इस भूमि के खातेदार कृषक प्रार्थीगण है तथा भूमि पर प्रार्थीगण का ही निरन्तर कब्जा काश्त है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाने की कृपा करें।

अपने जवाब में अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रत्यार्थी रतनी बाई के खातेदारी आधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 385 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा स्थित है जिसकी तरमीम हो रखी है भूमि प्रत्यार्थिया रतनी बाई के नाम से आवंटित हुई थी और तब से प्रत्यार्थिया ही काबिज काश्त है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजों का अवलोकन किया। [illegible] सुनी। प्रार्थना पत्र T-I - खारिज [illegible] पत्रावली बाद तकमील मूल वाद के [illegible] शामिल रहे। [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:27:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)